

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XIV

APR-2024 TO JUN-2024

ISSUE-II

C



COMPILED BY

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552, e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com website : www.slsa.uk.gov.in Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873 Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ TOLL FREE NO. 18001804000, 15100



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL



Hon'ble Ms. Justice Ritu Bahri Hon'ble Patron-in-Chief, UKSLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Alok Kumar Verma Hon'ble Chairman, HCLSC, Nainital



Mr. Pradeep Kumar Mani,



Mr. Arun Vohra, Member Secretary, UKSLSA, Nainital OSD/Deputy Secretary, UKSLSA, Nainital

1 | P a g e

E-NEWSLETTER FOR APRIL-2024 TO JUNE-2024

NATIONAL LOK ADALAT ORGANIZED ON 11.05.2024:

As per directions of NALSA, National Lok Adalat was organized on 11.05.2024 in the Hon'ble High Court and in all Courts of the Districts throughout the State of Uttarakhand. In the said National Lok Adalat, total 5457 **Pre-Litigation cases** were taken-up and out of them **4305** cases were settled amicably and ₹ 13,89,44,088/- was as settlement amount.

In the said National Lok Adalat total 9647 Pending cases were referred and out of them total **8214** cases were settled amicably and a sum of ₹ **42,52,29,964**/- was as settlement amount.

The National Lok Adalat was also organized in the Quasi-Judicial Courts such as Consumer Courts and Debt Recovery Tribunals on 11.05.2024. Total 73 cases were referred in such Quashi-Judicial Courts and out of them **64** were settled and ₹ **48,45,50,500**/- was as settlement amount.

National Lok Adalat was organized on 11.05.2024 at the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital



PITHORAGARH

National Lok Adalat organized on 11.05.2024 at District Court Pithoragarh



TEHRI GARHWAL

National Lok Adalat was organized on 11.05.2024 at District Court Compound, Tehri Garhwal



OBSERVATION OF "WORLD HEALTH DAY":

On 07th April, 2024 **"World Health Day"** was observed by all the DLSAs across the State of Uttarakhand along with other stakeholders and Awareness Camps were organized by the DLSAs, TLSCs. Panel Lawyers, PLVs and participants were sensitized about On 07th April, 2024 "World Health Day" was observed by all the DLSAs across the State of Uttarakhand along with other stakeholders and Awareness Camps were organized by the DLSAs, TLSCs. Panel Lawyers, PLVs and participants were sensitized about health related issues which were discussed in detail in such camps. Queries/curiosities of the participants were also addressed. The problem of malnutrition is a big problem in India. The country is growing rapidly in various fields but the problem of malnutrition still remains the same. Both under nutrition and over nutrition are directly affecting health of the masses.



OBSERVATION OF "INTERNATIONAL WORKERS' DAY":

'International Workers Day' (May Day) was observed on 01.05.2024 by all the Districts Legal Services Authorities in cooperation with TLSCs, Panel Lawyers, PLVs and Labours' Community and Legal Awareness/Services Camps were organized throughout the State. The attendees were sensitized about NALSA (Legal Services to the workers in unorganized sector) Scheme, 2015 extending benefits of the Welfare Schemes for unorganized workers, processing and furnishing application form for registration to avail benefits under various Govt. Schemes and also to make aware about statutory duties of employers, Labour Laws, minimum wages Act etc.



CHAMPAWAT



DEHRADUN





NAINITAL



GMT





PITHORAGARH





BIODEGRADABLE & NON-BIODEGRADABLE AND PLASTIC WASTE MANAGEMENT:

In compliance of the Order dated 07.07.2022 and Order dated 24.11.2022 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in **WP (PIL) No. 93/2022 (Jitendra Yadav Vs. Union of India & Others)** and as per the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, with reference to the aforesaid order, different legal awareness camps have been organized on different dates and places by the District Legal Services Authorities across the State of Uttarakhand.

PLVs were directed to visit different rural and urban areas, their deputed areas and uploaded Google Map Photos of the heaped/dumped garbage, also sent complaint of the locations at E-mail ID: <u>solidwaste-complaint@uk.gov.in</u> and to the concerned authorities.

Further, during the period April to June 2024, to make aware the common mass about Uttarakhand Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation and Use of Disposal) Act 2013; Plastic Waste Management Rules, 2016 with amendment Rules 2018; Environment Protection Act, Uttarakhand Panchayat Solid Waste Management Policy, 2017 and Ban on single use of plastic etc., **36 Legal Awareness Camps** were organized and people at large were made aware. Total **09 Meetings** were also convened by the Secretaries of the DLSAs with Executive Officer, Nagar Palika to discuss the waste management in the district, for fixing dust-bins at the collection centers and for removal/disposal of the collected garbage.

CELEBRATION OF "WORLD ENVIRONMENT DAY"ON 05TH JUNE, 2024AS CLEANLI-NESS DRIVE FOLLOWED BY SHRAM DAAN

As we know that every year **"WORLD ENVIRONMENT DAY"** is celebrated on 05th June. The World Environment Day is a special occasion to come together and appreciate the natural beauty of our planet. The day is to reflect on how we can protect and preserve the environment for future generations and to create a positive impact on our world.

The key issue of environment protection & preservation is pollution such as plastic pollution, air pollution and food security and all about fighting against plastic pollution, one of the biggest challenges we are facing today, from oceans filled with plastic bottles to forests littered with plastic bags, our environment needs our help more than ever.

Keeping in view the importance and necessary of keeping our environment pollution free and clean, the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA Nainital directed all DLSAs to observe and celebrate **"World Environment Day"** as **"Cleanliness Drive"** followed by **"Shram Daan"** on 05th June, 2024 across the State of Uttarakhand.

Accordingly, all District Legal Services Authorities have been directed:

- To observe and celebrate "World Environment Day" on 05th June, 2024 across the State, especially in rural and remote areas by including Tehsil Legal Services Committees, Panel Lawyers and Para-Legal Volunteers (PLVs).
- 2. During the programme:
 - a) Awareness programmes and camps is to be organized in Schools and Colleges; in Factories & Industrial areas; at Pancyayat& Village levels; far-flung rural areas of the district.
 - b) Aware the people at large about Environment Protection Act; Plastic Waste Management Rules, 2016; Uttarakhand Plastic & Non-biodegradable Garbage Act, 2013; Solid Waste Management etc.
 - c) A "Cleanliness Drive" followed by "Sharm Daan" shall be conducted in the entire District on 05th June, 2024.
 - d) Awareness Rallies;
 - e) Radio Talk show or Nukkad Natak
 - f) Drawing/Slogan/Essay Competition
 - g) Wider and Adequate publicity of this campaign

- h) To upload News, information, photographs and videos of the activities in the social medial platforms
- A "Cleanliness Drive" followed by "Sharm Daan" shall be conducted in the entire District on 05th June, 2024.
- 4. Effective coordination and active participation of all stakeholders.

To make the aforesaid awareness campaign a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, the aforesaid Awareness Campaign was successfully organized by the District Legal Services Authorities in their districts in association with the concerned stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said campaign, a consolidated report has been prepared as under:-

S.N.	PARTICULARS	REPORT
1	Total No. of Awareness Camps organized in Schools/Colleges	243
2	No. of students attended these camps	14192
3	Total No. of Awareness Camps organized at Panchayat/Village level & far-flung rural areas	408
4	No. of persons attended these camps	11725
5	Total No. of Awareness Camps organized in Factories/ Industrial Areas	19
6	No. of persons attended these camps	462
7	No. of Awareness Rallies orga- nized	99
8	No. of Radio Show organized	Nil
9	No. of Nukkad Natak organized	21
10	No. of Drawing/Slogan/Essay competition conducted	152
11	Rules, Provisions, Laws and Acts converged during the campaign	 Water Conservation Solid Waste Management Effect of Global Warming, Tree Conservation Ill effects of Sand Erosion Ill effects of Soil Desertification Plastic Waste Management Rules 2016 Prevention & ill effects of pollution Uttarakhand Plastic and Non-biodegradable Garbage Act 2013

		10. Article 51A
		11. Environment Protection Act
		12. Uttarakhand Govt. Notification No. 84/XXXViii-1-
12	Any other relevant report	 20-13 (11)/2021, dated 16.02.2021 During the campaign plantation programme & cleanliness drive were done at 22 places of the district Cleanliness Drive started from tip and top by DLSAs including Court Staff, Forest Department, District Administration, Panel Lawyers, PLVs & other stakeholders. Plantation programme & Cleanliness Drive was done by the TLSCs Plantation & Cleanliness Drive "Shram Daan" was done by the PLVs within their deputed areas DLSA Haridwar has informed that considering scorching heat, symbolic plantation of trees was done in various part of the district such as at both jail premises, District Court Campus, Bar Association Premises, Outlying Court Premises & Colleges.
		6. Cleanliness Drive was organized at Riverside ar- eas


It is kindly submitted that as per the District-wise reports in the tabular form mentioned above, it is found that during the aforesaid Awareness **'World Environment Day' celebration/campaign, total 670 awareness programmes including camps were organized** (243 in Schools & Colleges, 408Panchayat/Village Level & Far-Flung Rural Areas and 19in Factories/ Industrial Areas) and around 26379 persons have attended these awareness programmes/camps (14192students, teaching & nonteaching staff in Schools & Colleges, 11725 common mass & villagers including senior citizens, women, children etc. living in Villages& Far-Flung Rural Areas and 462 unorganized *labourers working in the* Factories/ Industrial Areas).

Also, informed that total **99 Awareness Rallies**, **21 Nukkad Nataks**, **152 Drawing/Essay/Slogan Competitions** were organized. During the course of awareness campaign, public including students, youth generation, senior citizens, women and children were sensitized in length about **Water Conservation**, **Solid Waste Management**, **Effect of Global Warming**, **Tree Conservation**, **III effects of Sand Erosion**, **III effects of Soil Desertification**, **Plastic Waste Management Rules 2016**, **Prevention & ill effects of pollution**, **Uttarakhand Plastic and Non-biodegradable Garbage Act 2013**, **Article 51A**, **Environment Protection Act**, **Uttarakhand Govt. Notification No. 84/XXXViii-1-20-13(11)/2021**, dated 16.02.2021.

It is kindly submitted that during the celebration of **'World Environment Day'** as **Cleanliness Drive** followed by **"Shram Daan"** on 05.06.2024, valuable coordination was

received by the District Administration, Police, Village Heads/Pradhans, School and College Administration and other concerned stakeholders.

In order to make this campaign a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid World Environment Day campaign as cleanliness drive followed by Shram Daan through different Digital Platform. Information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.




<u>17 | Page</u>



BAGESHWAR









विश्व पर्शवरुण दिवस पर निवंध 🛪 विख्य पर्यावरूण दिवस स्क अभियान हैं।

- प्रत्येक वर्ष ङ जून की, विश्वच्छार के प्रयावरण के नकारहमन प्रामने के रोकने के लिए मनाया जाता है, ×
- ছুর সড়িয়োন না এটাহয় বানাকলে নী নিশ্ববিষ্ঠী দং গুমল কর্দির রাজী और হমাই মহ রাজী ন মুহুমিল পরিচ্যা কাঁ ম্রাপাইখন কর্তন কे চাঁহা হি,
- विषठ पर्शातरण के संयुत्त राष्ट्र घोषणा महाससा के झारा मानव पर्यावरण के संयुत्त राष्ट्र सम्मेलन के अवयर पर माजव पर्वावरण वे 1972 में हुई व्यी,
- विज्ञत पर्शतरुमा दिवस कार्यवस शास्त के विशेषस्म से उक्तों। ऑट कुलिजों के विशिष अविधियों के मध्यम से मनाया जोता है।
- খ্রন্থা অবস্থে যথ ব্যুজালীয়তা, বহুজিত প্রবস্থা, নাভনা অৱস্থানি, নিজকরা অবিয়ায়িনা, ব্যুকীরেয়া, অবিয়াগ্যিনা, জামতা জারি আহীনের ক্রিয়া এানা হি,
- खुबजो की पुरुषों पर सुरक्षित भेषेष्ठा के लिए पूर्णवरुण और तत्व्यायु परिवर्तन के सुद्दों पर प्रोज्याहत्व करने के जिए कार्वायात्वाजी जा भी अधोजन किया ताला है।

নাম - ব্রুহা উল্লো - 10% হকুনে জা নাম - 3% 3; যা: \$: কাঁ, নেন্দ্রারী

Nome- Ishika निवंध Class- 8th

विश्व- वर्चाकांग वे पर्याकरण

पर्यावरणों अलवधे स्वयुक्ता प्रदूषणा तथा दुष्टा का शभी जो निरुषणः खलाग हैं, और ये सभी स्वीरंग को जिलाक अगता हैं, और थे शभी सीमें याजी की प्रयोवरण इसारे देखिक जीवल से सीमा प्रवेश रखवा हैं और उसो प्रसावित करता हैं। मालय शरीर सीरे उसो प्रसावित करता हैं। मालय शरीर प्रसारे देशिक जीवन से सीयी प्रमार उसका के अगेर उसे प्रमापित करता हैं। सालय परीर उसें रवास्था पर पीथा उसकर इनका है। मालय अग्ही- कुरी आदते जेते पुत करना पूर्व कारने से हसे हवा नहीं सिली। ज्यावेय पूर्वपा रोकता है स्वद्भ्य की द्वी अगदों अंसे यानी बनदा करना। दिसका नतीया नाद में ब्यात को प्रायति आवड़ों का समान करके ध्रमता की पहता है। पर्यातरण कर यहता है। प्रयतिश्व को द्वाय की प्रयत्न करके ध्रमता की पहता है। परिवन आंद अगर कि प्रयत्नि कार की स्वस्थ, स्वात को प्रायति उस्ते की पह स्वार प्रतिक की स्वाय कार्य के दिया स्वार की की स्वार ध्रमता की प्रयत्न कार्य के प्रायतिक आहे स्वार्यतिश्व कि कार्य के प्रायतिक और प्रतिक की स्वायति करने वासे समी कीतिक और अगविन तालों तथा प्रातियाओं ओर एतनाओं आखताका वती हजाई है। म्हणदे हता की जले दार्य समस्त फ्रियांच प्रयतिश्व कारी है। यह द्वार आपतार्य, स्वा मे प्रमाहित करती है। ययह द्वार

Det 7 7 Play No.

प्रदेश कर लिगहे करती और प्रयोगक होती हैं। सम्ब हरदरेप के आधार पर प्रयोगक होती हैं। भारत में बांदा का समता है किसमें अक्तुन्दाहत हैं अक प्राकृतिक या संसर्गिक प्रयोगिना अत्ते मानग जितित एकप्रिय ज्या सेसर्गिक प्रयोगिना अत्ते मानग जितित प्रकृतिय ज्या सेसर्गिक हा स्वाहतीय प्रतिया और अति हर्या औ में सालव हरदाय की जाता की अधिकता और हर्या का का अन्युसार है।

हरूर बढ़ता के . अनुसार हैं। उपमंबाई : अगम के युग मे राग्येकरण पदलेंगा बहत रेभी से बंद रहा हैं। बहती अन्वसंख्या ' अंदिवड़ी- बड़ी इस्पतों के कारण पदाखिशा की व्हात लख होड्डी हैं, इर 6 बाह - 6 मख धने ' दूस' काट फर बड़ी किन्दिंगो का जिसीग करता पदाखिशा . अगेंन प्रशास के साथ के केइडाडा है । इतना दी नहीं जहां पारकों का शुरुम संसीने की आग हम . खरब रासायनिन एक .आदि की तक सेवायु प्रदुष्णा, अस 'प्रदुष्णा', हवाने प्रदूष्णा' हो का हैं। जिसके भारण हमें . करने के .बीमारियों का सामन केसना यु रहा 'हा। करना यह रहा है।

(महना तक रहा का अतः आज हमें सखसे ज्यादा अरुरत हे प्यविश्ज संकट के सुद्धे पर आम अनता आंग सुरी पाठकों जो आगम्ब करने सीर पर्यावरण समस्याए अरेरे मद्रपण, अनवाय एपिवति इत्यादि साम्राज्य को अपनी जीवगरांती के बारे हो पुनविश्वर के लिए मरित कर रही हे ऑर आब एमविश्ण सर्वश्रा अर्गर प्रयोगिया प्रबंध की आवश्यकता वहने से अस्तिक महावर्ष्ठा हो बाई है।

13 | P 2 9 6

CHAMOLI







HARIDWAR



NAINITAL







PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG





UDHAM SINGH NAGAR











विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शि में आपका स्वागत है।

टिनॉ





OBSERVATION OF "INTERNATIONAL YOGA DAY":

On the event of **'International Yoga Day'** on 21.06.2024 all the District Legal Services Authorities have organized Yoga Sessions within their districts, across the State of Uttarakhand. The PLVs and other stakeholders also conducted Yoga Sessions at their deputed areas. During the Yoga Sessions participants were informed that doing Yoga is a transformative practice, represents the harmony of mind and body. Further, during the yoga session the importance of slogan "Yoga for Me and for Society," has been explained and also informed in length about its physical, mental, spiritual benefits and discipline of healthy & sustainable life by practicing yoga and other physical activities.





BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN









NAINITAL





PAURI GARHWAL




PITHORAGARH





TEHRI GARHWAL





UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI









PREVENTION OF SALES OF EXPIRY ITEMS:

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, monthly meetings are being convened by the Secretaries of District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State of Uttarakhand with Food Safety Officer and Drug Inspector of the concerned district with regard to prevention of sales of expiry items/packets/packed foods, drinks. Raid/ Inspections are also being done to the malls, shops, markets, medical stores, general stores etc.

The committee constituted for the purpose has been directed to conduct all needful exercise as per law, if any such matter found in the district.

During the said period the District Legal Services Authorities convened **28 Meetings** with Food Safety Officer and Drug Inspector and Anti-Drug Team Members, **128 surprise inspections/visits** to shops, stores, medical stores, malls by the concerned officers, about 227 **samples collected** from the shops, malls and stores and were sent to laboratory. The concerned officers also informed that show cause notices were issued to different firms as per Medicine Act, 1940 and Rules 1945.



होटलों में मिली अनियमितता, सैंपल लिए

▶ जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की टीमों ने मारा छापा ▶ दर्जन भर से अधिक होटल स्वामियों को दिए नोटिस

संवाददाता, नैनीताल

अमृत विचार : जिला प्रशासन और विभिन्न विभाग की टीमों ने मंगलवार को शहर व आसपास के क्षेत्रों के होटलों और होम स्टे पर छापा माग। कार्रवाई के दौरान कुछ होटलों में आनियमिताएं मिली। जिस पर पर्यटन विभाग ने होटल स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये। कर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के निर्देश पर एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन व विधिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने मालरोड व अयारपाटा क्षेत्र के होटलों में छापेमारी की। इस दीयन मालरोड स्थित हिमट्रेक होटल में पर्यटक



नैनीताल के एक होटल में छापेमारी करते एसडीएम प्रमोद कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम।

आगंतुक रजिस्टर सत्यापित नहीं मिला। वहीं बंगाली होटल में नेपाल के पर्यटकों का सी फामं भरा हुआ नहीं मिला।

इसके बाद टीम अयारपाटा क्षेत्र में पहुंची। जहां जीवी इन होटल के किचन में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग हो रहा था। जिस पर एसडीएम ने तत्काल सिलेंडर को कब्जे में लेने के निर्देश दिये। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल माउटेन मिस्ट व द फर्न विला से पनीर और जीवी होटल से ब्रेड के सैंपल जांच के लिए भरे। एसडीएम ने बताया कि होटल हिमट्रेक, अहुजा होटल, बंगाली होटल, फर्न विला व जीवी इन के संचालक को पर्यटन विभाग की ओर से चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। यदि नोटिस के बाद भी मानकों को पूरा नहीं किया गया तो चालानी अथवा होटल सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभियान में जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी, इंओ पूजा चंद्रा, एसएसआई पीएस मेहरा, खाडा सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह, टीआई हिमांशु चंद्रा, दीपराज समेत तमाम कर्मचारी मौजुद रहे।

OBSERVATION OF "INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING":

On 26th June, 2024 all District Legal Services Authorities, Tehsil Legal Services Committees, PLVs and other stakeholders observed the "**International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking**". Legal Awareness Camps including the campaign aimed at raising awareness about the Drug Abuse and Illicit Trafficking were organized and the participants were asked to achieve the goal of drug free society. People at large were also informed that the issue of drug abuse poses a complex challenge affecting people at large in the State. The participants were also informed about ill effects of drugs, prevention, treatment and also that the impact of drugs is far-reaching and complex.



<u> 28 | P a σ e</u>



"<u>15 DAYSAWARENESS CAMPAIGN FROM 01 JUNE, 2024 TO 15 JUNE, 2024 ON</u> WOMEN RIGHTS & EMPOWERMENT AND CHILD RIGHTS & THEIR PROTECTION"

In view of Article 15(3) of the Constitution of India, special provisions for the Women and Children may be made.

Furthermore, it is kindly submitted that the Constitution of India provides equality before the law for every person and the right to life with dignity and personal liberty to all. The Constitution empowers the Government to take affirmative actions, especially for women and children, so as to enable them to enjoy the fruits of development. Several legislations for women covering different areas like health, reproductive benefits, education, right to property, employment are in place to achieve the goal of gender equality.

On the other hand, children are particularly more vulnerable to exploitation and abuse than adults. Hence, children need to be protected.

All people under the age of 18 are entitled to the standards and rights guaranteed by the various laws established as per the mandate of the Constitution of India and accordingly, there is a constant need to bandwagon on Child rights, as the child rights are the subset of human rights.

Apart from this, NALSA, New Delhi has also formulated schemes namely; NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015 and NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015 in this regard.

Therefore, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that it would beappropriate to conduct awareness programmes, camps and other similar activities for the Women and Children.

Accordingly, the Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to direct all the DLSAs to conduct**"15 Days Awareness Campaign underlining the Acts, Rules, Schemes, Provisions & NALSA Schemes specially framed for the welfare of Women and ChildProtection**" in the State of Uttarakhand **from 01**st June, 2024 to 15thJune, 2024and to submit a consolidated report.

In order to make the aforesaid Campaign a success, following necessary directions were issued to all the District Legal Services Authorities:-

- A. All the DLSAs have been directed to organize a "15 Days Legal Awareness Campaign on Women Rights & Empowerment and Child's Rights & their Protection" in the district w.e.f. 01st June, 2024 to 15th June, 2024.
- **B.** All the DLSAs have been directed that during the aforesaid 15 days Campaign, the following activities is to be carried out by the DLSAs:-
- (i) Awareness Programmes and Camps may be organized in Schools and Colleges, wherein children shall be sensitized about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015, NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to Women and Children.
- (ii) Awareness Programmes and Camps shall also be organized in Panchayat Levels, Village Levels and Far-flung Rural Areas, wherein public at large shall be made aware about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015, NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to Women and Children.
- (iii) Awareness Programmes and Camps shall also be organized in Observation Home/Nari Niketans/Girls Homes/Children Home/Shelter Home/Special Home, wherein gathering shall be made aware about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015, NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to women and children.

In order to make the aforesaid awareness campaign a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, the aforesaid Awareness Campaign was successfully organized By the District Legal Services Authorities in their districtsin association with all the concerning stakeholders.

- (iv) In addition to the other laws, special focus shall also be given to the following topics during the said Campaign:-
 - (a) NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015;
 - (b) NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015
 - (c) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
 - (d) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
 - (e) Prohibition of Child Labour;
 - (f) Pre-concept and Pre-natal Diagnostic Techniques

- (g) Prohibition of Child Marriage;
- (h) Prohibition of Child Trafficking.
- (i) Juvenile Justice Act, 2015;
- (j) Right of Children to Free and Compulsory Education;
- (k) POCSO Act-2012;
- (v) Awareness Rally of School's Children may be organized.
- (vi) Radio Talk Show or Nukkad Natak shall be organized on this campaign.
- (vii) Drawing/Slogan/Essay Competition may also be conducted in Schools, Observation Home/Nari Niketans/Girls Homes etc. and top three winners of each category shall be felicitated by the DLSA.
- (viii) Medical Health Check-up Camp shall be organized in the Schools, Observation Home/Nari Niketans/Girls Homes/Children Home/Shelter Home/Special Home in collaboration with the Medical Department.
- (ix) Wider and adequate publicity of this Campaign shall be ensured through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.
- (x) News, information, photographs and Videos of the activities must also be uploaded on the Facebook Page of the DLSA on regular basis by tagging all the DLSAs and Uttarakhand SLSA.
- **C.** All the DLSAs have been directed that effective coordination and active participation of the following stakeholders is highly required to make this Campaign a grand success:-
 - (i) District Administration;
 - (ii) Police Administration and Special Juvenile Police Units;
 - (iii) Social Welfare Department;
 - (iv) Medical and Health Department;
 - (v) School and College Administration;
 - (vi) Commission for Protection of Women Rights;
 - (vii) Commission for Protection of Child Rights;
 - (viii) Juvenile Justice Board and Juvenile Welfare Officers;
 - (ix) Child Protection Units and Child Marriage Prohibition Officer;
 - (x) Child Welfare Committees.
 - (xi) Child Psychologist/Psychiatrists.
- D. All the DLSAs have been directed to utilize the services of Panel Advocates, PLVs and Tehsil Legal Services Committees; strictly as per the actual need.

- **E.** All the DLSAs have been directed that during the aforesaid Campaign, the whole District shall be covered; especially rural areas and far-flung hilly terrains.
- F. All the DLSAs have been directed to submit a consolidated report with short compiled videos, photographs and newspaper cuttings of the aforesaid Campaign to this Authority positively by the evening of 21th June, 2024 in the enclosed proforma alongwith a brief write-up of one page.
 - **G.** In compliance of the above directions, reports from all the DLSAs were received. Accordingly, a Consolidated Report has been prepared by this Authority and the same is hereunder:-

CONSOLIDATED REPORT OF THE 15 DAYS CAMPAIGN ORGANIZED FROM 01.06.2024 TO 15.06.2024

	Almora	Bages hwar	Cha- moli	Cham pawat	Deh- radun	Harid war	Nai nital	Pauri	Pi- thora garh	Ru- drap raya g	Tehri	U.S. Nagar	Uttar- tar- kashi	TOTAL
Total No. of awareness pro- grammes/camp s organized in Schools & Col- leges.	42	06	41	21	19	02	73	10	09	07	08	06	10	254
No. of students attended these programmes/ camps.	4563	271	1843	2154	918	250	261 0	742	1000	345	493	250	321	15760
No. of aware- ness pro- grammes/ camps orga- nized in Pan- chayat Level/ Village Level and Far-Flung Rural Areas.	99	90	77	129	46	22	21	20	02	37	112	74	98	827
No. of persons attended these programmes/ camps.	3966	1673	2348	3409	2565	1100 (ap- prox.)	628	458	150	795	2425	3636	3011	26164
No. of aware- ness pro- grammes/camp s organized in Observation Home /Nari Niketans/ Girls Homes/Children Home /Shelter Home/ Special Home, etc.	05	01	Such home s are not oper- ation al	Nil	03	03	04	02	01	Not situ- ated in the dis- trict	Nil	Nil	02	21
No. of persons attended these programmes/ camps.	96	63	Nil	Nil	237	60	120	08	11	Nil	Nil	Nil	18	613
No. of Aware- ness Rallies organized.	3	Nil	02	150	06	Nil	03	02	07	05	02	01	Nil	181
No. of Radio Show orga-	2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	01	Nil	Nil	Nil	02	Nil	05

<u> 33 | P a g e</u>

nized.														
No. of Nukkad Natak orga- nized.	3	Nil	Nil	Nil	02	03	06	01	Nil	02	01	Nil	Nil	18
No. of Draw- ing/Slogan/ Essay Competi- tion held in Schools.	14	Nil	03	03	04	02	09	06	03	03	01	02	Nil	50
No. of Draw- ing/Slogan/Essa y Competition held in Obser- vation Home/ Nari Niketans/ Girls Home/ Children Home/Shelter Home/ Special Home, etc.	03	Nil	Nil	Nil	02	03	04	02	Nil	Nil	Nil	15	Nil	29
No. of Medical Health Camps organized in Schools/ Obser- vation Home/ Nari Niketans/ Girls Home/ Shelter Home/ Special Home, etc.	12	Nil	Nil	Nil	03	Nil	03	03	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	21
Total No. of persons benefit- ted by this 15 days of Cam- paign.	8625	2007	4191	5563	3720	1410	335 8	1208	1161	114 0	2918	3886	3350	42537
No. of Acts, laws, topics covered in this Campaign.	11	07	12	06	07	06	10	11	12	07	07	07	07	Maxi- mum- 18

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid Awareness Campaign, **total 1102 awareness programmes including camps were organized** (254 in Schools & Colleges, 827 in Panchayat Level/ Village Level and Far-Flung Rural Areas and 21 in Observation Home /Nari Niketans/ Girls Homes/Children Home /Shelter Home/ Special Home, etc.) **and around 42537 persons attended these awareness programmes/camps** (15760 in Schools & Colleges, 26777 Senior Citizens, Women, Children and Common Masses in Urban/Rural & remote Areas).

Furthermore, it is kindly submitted that total 181 Awareness Rallies, 05 Radio show including Television Interviews, 18NukkadNataks, 50 Essay/Poster/ Debate Competitions were organized.

During the aforesaid Awareness Campaign, Door-to-Door Campaign was also organized. During the course of awareness campaign, public includingstudents, youth generation, senior citizens, women and childrenwere made aware and sensitized about NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015; NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015, The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013; Prohibition of Child Labour; Pre-concept and Pre-natal Diagnostic Techniques; Prohibition of Child Marriage; Prohibition of Child Trafficking; Juvenile Justice Act, 2015; Right of Children to Free and Compulsory Education; POCSO Act-2012 etc.

Apart from this, Children, students, women and public at largewas made aware about the Central & State Government's Welfare Schemes specially meant for the Women Empowerment and Child Protection and Welfare, Juvenile Justice Act, about District Child Welfare Committees, etc. Medical Check-up Camps were also organized.

In order to make this campaign a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of campaign through Radio Shows, Print & Electronic Media and Digital Platform. Information and news were also uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.

It is kindly submitted that during the aforesaid Campaign, valuable coordination and active participation was provided by the District Administration, Police Administration, School and College Administrationetc..

In view of the above, the Consolidated Report may also be uploaded in the Official Website of this Authority.





BAGESHWAR









CHAMOLI





CHAMPAWAT









DEHRADUN





HARIDWAR










NAINITAL



PAURI GARHWAL







RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



<u>40 | Page</u>

UDHAM SINGH NAGAR







AWARENESS PROGRAMME FOR JUDICIAL OFFICERS:

As per Plan of Action for June, 2024 special awareness programmes were organized by the District Legal Services Authorities in the districts for Judicial Officers in the State of Uttarakhand on the topic "**The Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020**".

In the said awareness programmes the participants were informed in length about aforesaid scheme, keeping in view the NALSA Scheme **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes - 2018**. Further informed that the SLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the scheduled attached hereto.



ACTIVITIES AND PROGRAMMES ORGANIZED FOR PRISONERS:

During the period April-2024 to June-2024 total **155 Legal Services & Awareness Camps** were organized by the District Legal Services Authorities along with Chief Legal Aid Counsel, Retainer Lawyers, Panel Lawyers, PLVs. Total **226 Visits/Inspections** were also conducted and during the visit interaction sessions were also organized with inmates to know the progress of their cases and about legal aid relating issues. In the legal awareness camps under trial prisoners were informed about Early Access to Justice at Pre-arrest, Arrest and at Remand Stage, Compounding of Offences, Rights of Remission, Commutation etc. Further, directions were given to ensure that the applications of the prisoners seeking free legal aid are immediately sent to the District Legal Services Authorities. During the period total **1057 Under Trial Prisoners** were provided free legal aid to defend their cases in different Courts.

NOTE: <u>Faces of the Jail Inmates have been made blurred due to security reasons.</u>




<u> 43 | Page</u>

BAGESHWAR





CHAMOLI





CHAMPAWAT





DEHRADUN





NAINITAL



PAURI GARHWAL






<u>45 | Раде</u>

PITHORAGARH



TEHRI GARHWAL





UDHAM SINGH NAGAR



AWARENESS AND OUTREACH PROGRAMMES:

During the month April to June, 2024 total **2428 Legal Awareness Camps** were organized at community level in remote far-flung areas, at market places and in urban areas by all DLSAs including TLSCs, PLVs and Panel Lawyers. These camps were attended by 116224 person across the State of Uttarakhand and they were sensitized about NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme 2015, Cybercrime, Internet & Social media frauds/scams, Revenge Porn, Cyber Stalking, Cyber Harassment, Cyber bullying, Child help line 1098, NALSA helpline no. 15100, Prevention and Treatment, Early Access to Justice at Prearrest, Arrest and Remand Stage, Child Marriage Ban, Child Labour Ban, e-initiatives as e-True Copy, e-filing, Drug Abuse, POCSO Act, D.V. Act, NALSA Portal (LSMS and LAIS) etc.



BAGESHWAR





CHAMOLI



<u>47 | Page</u>

CHAMPAWAT



DEHRADUN





HARIDWAR





NAINITAL





<u>48 | Раде</u>



<u>49 | Page</u>

OUTREACH PROGRAMME AT SCHOOLS AND COLLEGES:

Total 1311 Legal Awareness camps were organized at school and college level at District, Tehsil and Block level and the said camps were attended by Students, Teaching and nonteaching Staff and Parents. In the said camps people at large were informed about the *Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013,* Cyber Crimes, Social Media Scams, Cyber Harassment, Revenge Porn, Cyber stalking, NALSA (Legal Services to the workers in the un-organized Sector) Scheme 2015, Labour laws, Minimum wages, POCSO Act, Good touch & Bad touch etc. These programmes were attended by about 77302 students.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI







PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL



सास्कृतिक मंच टटोर, नेनबाज क

UDHAM SINGH NAGAR





UTTARKASHI





VISITS/INSPECTIONS OF DISTRICT/SUB-JAILS, LOCK-UPS, CHILDREN/OBSERVATION HOMES, NARI NIKETAN, FRONT OFFICE, LEGAL AID CLINICS & ONE STOP CENTERS etc.

ALMORA	BAGESHWAR
Secretary, DLSA Almora visited Jail Legal Aid Clinic at District Jail Almora.	Secretary DLSA, Chamoli, Chief Legal Aid Defense Counsel and Jail Visiting Lawyer visited the Dis- trict Jail, Chamoli in May, 2024
LEGAL AID CLINIC DISTRICT JAIL ALMORA	
CHAMPAWAT	NAINITAL
Secretary, DLSA Champawat visited Police Station, Champawat, on 24.05.2024.	Secretary, DLSA Nainital visited Sub-Jail, Haldwani
DEHR	ADUN
Secretary, DLSA Dehradun visited District Jail Dehradun on 12.06.2024	On 28 May 2024, inspection was done by the Secretary, DLSA, to District Jail, Dehradun

PITHORAGARH

Visit by Secretary, DLSA Pithoragarh to Judicla Lock-up Didihat

Visit by Secretary, DLSA Pithoragarh to Judicla Lock-up Didihat



TEHRI GARHWAL	UDHAM SINGH NAGAR
Secretary DLSA, Tehri Garhwal visited District Jail New Tehri	Visit of <i>Observation Home Rudrapur</i> by Secretary, DLSA U.S. Nagar on 22-05-2024





MISCELLANEOUS PHOTOS AND NEWS PAPER CUTTINGS OF THE PROGRAMMES AND ACTIVITIES CONDUCTED DURING JANUARY TO MARCH, 2024

ALOMRA

Door to Door Awareness Campaign in Far Flung areas by PLVs to sensitize the people about NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme,2015 during May, 2023



Cleanliness Drive was organized in May, 2024 by PLVs with other persons in many schools in district Almora & also make general public aware about disposing of garbage properly, completely ban the use of harmful plastic



BAGESHWAR

PLVs enrolled with DLSA Bageshwar helped people in making EWS Card and Pension application



CHAMOLI

DLSA, Chamoli conducted Training-cum-Sensitization Session titled 'NALSA, SALSA, DLSA, TLSC, JJ Act, JJ Rules, D.V Act, Women Rights, child rights and NALSA Scheme' at the auditorium of the district court campus, Gopeshwar on 09.05.2024 and 28.05.2024

CHAMPAWAT

PLV organized awareness camp titled " NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015." on 17.05.2024 at Legal Aid clinic One stop Centre, Champawat



DEHRADUN

Advertisement of "Special Lok Adalat" organized in the Honorable Supreme Court of India, New Delhi from 29th July 2024 to 3rd August 2024



HARIDWAR

Legal awareness camp for working women, about mandatory local complaint committee & internal complaint committee on 28.05.2024

DLSA, Haridwar in collaboration with Nagarpalika organized an awareness massive cleanliness drive स्वच्छ हरिद्वार सुन्दर हरिद्वार from 21-05-2024 to 28-05-2024



PITHORAGARH

DLSA, Pithoragarh conducted Training-cum-Sensitization Session titled New Law Training at Meeting Hall on 24-06-2024 to 28-06-2024 The participants were imparted training relating to the provisions of New Law.

DLSA Pithoragarh organize cleanliness drive on the 05.06.2024 on the occasion of World Environment Day.



RUDRAPRAYAG

DLSA, Rudraprayag conducted Training-cum-Sensitization Session titled "Awareness camp/ workshop on the provisions of sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013(in Short PoSH Act)' at District Education And Training Institute Ratura Rudraprayag on 28-05-2024 DLSA, Rudraprayag conducted Training-cum-Sensitization Session titled "NALSA Disaster Victims Scheme-2010 & Disaster Management at Police Line Ratura on 29-06-2024.



UDHAM SINGH NAGAR

District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar organized Meeting PLVs & Panel Lawyers, titled 'NALSA Scheme' at Udham Singh Nagar on 02-05-2024 & 07-05-2024.



UTTARKASHI

On dated 06.05.2024 the Secretary DLSA, Uttarkashi organized a Refresher Training/Workshop in District Court Meeting Hall on Juvenile Justice Act, Functioning of CWC, Child Labour with the Judicial Officer, Incharge Juvenile, SJPU, CWC, JJB, Child Helpline, Education Officer, Observation Home, Hospital, Juvenile Welfare Officers, Labour Department etc. The DLSA, Uttarkashi organized a Basic Training Programme for the Court Staffs, Advocates and Others on Handling, Happening Caused by Fire and Other Caused occurred by Fire in House, Office, Court or in any Place. The Training was given by the Fire Service Uttarkashi.





पिथौरागढ़ में लोक अदालत 11 मई को

संवाद न्यूज एजेंसी

पिश्चौरागढ़। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने को लेकर न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की प्रारंभिक बैठक जिला न्यायालय सभागार में आयोजित हुई।

जिला जज शंकर राज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना,

सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे विभिन्न अदालती मामले

श्रमिक क्षतिपूर्ति, वैवाहिक, दीवानी सहित सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों को लेकर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अधिकारियों. पक्षकारों और अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन

बागेश्वर में ऑनलाइन बेठक लेते जि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ।

🔳 जिले के वामीण क्षेत्र में मी

यदि इस तरह की दवा बेचते

पकडे मए तो करें कार्रवाई

वि दबाइमां बेची गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के सचिव जयेद्र सिंह ने शरछ औषधों निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद के बुट्ट-दराज के इलाकों में स्थित कैमिस्ट की दुकानों एवं जनरल स्टोरों में भी सामय पिर ओक तिनिध्या किया क्या स्टार्टिंग्वन

् औचक निरीधाण किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त सम्बन्ध में की गई

कार्यवाही की सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर को उपलब्ध कराबा जाना भी सुनिश्चित

जनरल स्टोरों पूर्व होटलों में समय पिर अनरता स्टाय एव होटला में समया ५१ औषक निरीक्षण किया जाना सुनिष्टिवत करें। इस मौके पर मौनाक्षी बिष्ट, वरिष्ठ औषधी निरीक्षक, विपिन कुमार, खाध सुरक्षा अधिकारी रहे।

की जाए छापेमारी

मामलों का निस्तारण कराने वाले अधिवक्ता के माध्यम से दे सकते हैं प्रार्थना पत्र

विभा यादव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को सुलह समझौते से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वे आयोजन से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करा सकते हैं।

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक योपारा / जिन्द्रस्त जिला पिपिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलियानी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति की सचिव/द्वितीय अपर सिविल जज कुमारी अलका एवं पैरा लीगल वालटियर उमा भंडारी द्वारा गौलापार स्थित नैब में विधिक साक्षरता शिबिर का आयोजन किया।

शिविर में बन चों को उनके कर्त और अधिकारों से अवगत कराते हुए शिक्षा के महत्व, शिक्षा के द्वारा सही और गलत की पहचान करना एवं बाल विवाह, बाल मजदूरी व बच्चों के शोषण से सुरक्षा एवं नशे से दूर रहक्र स्वयं से और पूरिवार से प्रेम करते हुए अच्छी सामाजिक व्यवस्था मैं अपना एक श्रेष्ठ योगदान देने हेत् प्रेरित किया। नैब की अध्यक्षा सविताँ लाहोटी एवं पूरा स्टाफ व नैब के छात्र-छात्राओं एवं पुलिस विभाग से तारिक मलिक जी की उपस्थिति में जागरूकता शिविर संपूर्ण हुआ।

बागेश्वर में एक्सपायरी डेटकी दवाएं नष्ट की जाएं

बैठक

गगेङवर, संवादवाता। राज्य विधिक वा प्राणिकरण के निर्वेश घर जिले में विधिक प्राचिकरण के तत्वावधान में ऑनलाइन बैठफ हुई। इसमें जिले में एक्सपायरी डेट के सामान की बिक्री पर रोक लगाने तथा एक्सपायरी डेट की दवाइयों की नष्ट करने के लिए मंधन

किया गया। बैटक में जिले के दुकानदारों, व्यवसायियों द्वारा एक्सपायरी दवाइयों, रैकेज बोग्य खाद्य पदार्थों, पेथ पदार्थी भादि की बिकी के संबंध में चर्चा की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश गए कि एक्सपायरी छेट के खाद्य वों जैसे मिठाई की तुकानों एवं पेय पदावों की विक्री पर रोकयाम लगाया जाना सुनिश्चित करें। अगर कोई दुकानदार, व्यवसायी एवं होटल क एक्सपायरी खारा पदार्थ बेचत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। शिविर के माध्यम से अमल म लाए। शिवर क माण्यम स जगरूक कराया जाना सुनिश्चित करें। बरिष्ट औषधी निरीक्षक द्वारा बलाया बयाकि उनके द्वारा मेडिकल दुकानदारों हो सरकत निर्देश दिए गए हैं कि हालातीत दवाओं को कतई नहीं ब्रेचा जाए। इस तरह की दवाइयां जानलेवा हो सकती हैं।

त सकात की बोडिकला स्टोर वाली को निर्देशित क्षया गया है कि डॉक्टरों की सलाह इ. बगैर भी कोई दवाइयां न बेचे, और

कालातीत खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक

बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संचिव जयेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कालातीत (एक्सपायरी) सामग्री की बिक्री पर रोकथाम के लिए ऑनलाइन बैठक की गई।

बैठक में खाद्य सरक्षा अधिकारी विपिन कमार जिले में एक्सपायरी खाद्य पदार्थी मिठाई, पेय पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए निर्देशित किया। कहा गया कि अगर कोई दुकानदार, व्यवसायी, होटल मालिक एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएं।

वरिष्ठ औषधी निरीक्षक मीनाक्षी बिप्ट को जिले के दूर-दराज के इलाकों की कैमिस्ट की दुकानों और जनरल स्टोरों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। संवाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हल्द्वानी बाल गृह में आयोजित किया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व जॉगरूकता शिविर

By समाचार शरान देस्क - June 15, 2024

10 5 11 0





समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार व जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में जिला नैनीताल में एक जून से 15 जून तक बालक एवं महिलाओं हेतु संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलयानी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बाल गृह हल्द्वानी में आज शनिवार को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला

संविधान की विस्तृत जानकारी छात्राओं को होनी चाहिए: यादव

करें।

देहरादन(नगर संवाददाता)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के तत्वावधान में सचिव के आदेश के अनुसार प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा स्थानीय एमकेपी डिग्री कॉलेज की एनएसएस और एनसीसी की छात्राओं हेत् एक जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के मुख्य वक्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज हर्ष यादव थे।

इस अवसर पर सिविल जज हर्ष यादव ने अपने संबोधन में छात्राओं को संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसके साथ ही 1098 बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर यादव ने छात्राओं का आह्वान किया कि आपको संविधान की विस्तत जानकारी होनी चाहिए तथा अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभाव सी केवल व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि पुरा परिवार इससे ग्रसित हो जाता है। इस अवसर पर प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने स्वयंसेवकों को पिछले दिनों नशे के विरुद्ध निकाली गई रैली की याद दिलाते हुए बताया कि हमें इस तरह की रैलियां के माध्यम से लोगों को जागरूक अवश्य करना चाहिए ताकि समाज में व्याप्त नशे की आदतों से लोगों को दर रखा जा सके। इस अवसर पर उमेश्वर सिंह रावत ने छात्रों से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में भारत के संविधान लोकतंत्र आदि

पर निबंध लिखने का आह्वन किया। उन्होंने



कहा कि जो छात्राएं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी उन्हें प्रशस्ति यत्र दिया जाएगा तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आने वाली छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।

इस अवसर पर इसके पश्चात पिछले दिनों हुई नशे के विरुद्ध पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य तुष्ठी मैठानी एवं एन एस एस की कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर ममता सिंह के साथ-साथ एक सौ छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण व स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन




अल्मोड़ा,इंडिया वार्ता व्यूरो। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय जनपद ऱ्यायाधीष/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोडा के मार्गदर्शन में दिनांक 05/06/2024 को जनपद न्यायालय परिसर अल्मोडा में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण व स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया माननीय जनपद ऱ्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोज श्री श्रीकांत पाण्डेय जी दारा छाया दार सिलवर ओक व मोर पंख पेडलगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारीगण. विद्वान अधिवक्तागण व कमचारियों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा यह कथन कहा गया कि प्रत्येक वर्ष आज ही की तारीख यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ रहे प्रदुषण और प्रकृति को हो रहे नुकसान पर रोक लगाना है। पर्यावरण ने मानव को अंनत काल में लेकर अब तक जिस भी वस्तु की मानव को आवश्यकता महस्स हुई,वह पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हासिल हुई है ।यें तो प्रकृति का कार्य व्यवस्थित

एवं स्वचालित है किंतु आज मानव ने अपनी जिज्ञासा एवं लालच से पर्यावरण के सहज कायों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में पिछले कुछ दशकों से कई तरह के अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहें हैं।ये परिवर्तन प्रकृति के प्रमुख घटकों जल, जंगल जमीन और समस्त वायुमंडल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं । यह दुष्प्रभाव इतने तीव्र हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल और सम्पूर्ण जीव जगत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है अतः प्रकृति व पर्यावरण के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उनके दारा यह भी अपौल की गयी कि सभी लोग अपने अपने घरों में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक एक षौधा लगाये जिससे हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। उक्त कार्यक्रम में श्री रमेश सिहं अपर

सत्र न्यायाधीश, श्रीमती शर्भागी गप्ता . सिविल जज (ज0डि0) / प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोडा. श्री रवि अंग्रेडा, न्यायिक मजिस्टेट अल्मोडा द्वारा भी न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। उक्त अवसर पर श्री महेश चन्द्र परिहार बार संघ अध्यक्ष,विद्वान अधिवक्तागण लीगल ,कर्मचारियों एवं पराविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी वक्षारोपण किया गया एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रम दान कर न्यायालय परिसर की साफ सफाई को गई।

बुधवार दिनांक- 5 जून 2024



अल्मोडा। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा वह पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं जनपद प्राधिकरण अल्मोडा के मार्गदर्शन में आज पर्यावरण संरक्षण को समर्पित विश्व करना शुरू कर दिया है। जिसके पर्यावरण दिवस के अवसर पर

वक्षारोपण व स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जनपद न्यायाधीज / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोडा श्रीकांत पाण्डेय द्वार छाया दार सिलवर ओक व मोर पंख, पेड लगाकर वसारोपण कार्यक्रम का शुभारंग किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य न्ययिक अबिकलीगण, अधिवक्तागण व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा यह कथन कहा गया कि प्रत्येक वर्ष आज ही की तारीख यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

जाता है। जिसका उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और प्रकृति को हो रहे नुकसान पर रोक लगाना है। पर्यावरण ने मानव को अनत काल से लेकर अब तक जिस भी वस्तु

से हासिल हुई है। यूँ तो प्रकृति का न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा कार्य व्यवस्थित एवं स्वचालित है किंतु आज मानव ने अपनी जिज्ञासा एवं लालच जनपद न्यायालय परिसर अल्मोठा में से पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप



परिणामस्वरूप पर्यावरण में पिछले कुछ दशकों से कई तरह के अमृतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे है। ये परिवर्तन प्रकृति के प्रमुख घटकों जल, जंगल जमीन और की मानव को आवश्यकता महसस हई। समस्त वायमंडल को नकारात्मक रूप से

प्रभावित कर रहे हैं। यह दफ्रमाव इतने तीव हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल और सम्पूर्ण जीव जगत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अतः प्रकृति व पर्यावरण के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित

सान्ध्य दैनिक कुमायूँ ट

और संरक्षित रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उनके द्वारा यह भी अपील की गयी कि समी लोग अपने अपने घरों में पर्यावरण दिवस के लपलक्ष्य में एक एक पौधा लगाये जिससे हम पर्यावरण संरक्षण में अपना येगदान दे सके। उक्त कार्यक्रम में रमेश सिंह अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती शुभांगी गुप्ता, सिविल जज (जू०डि०) / प्रमारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोता रवि अरोता न्यायिक मजिस्टेट अल्मेश द्वारा मी न्यायालय परिसर में व्रसारोपण किया गया। उक्त अवसर पर महेश चन्द्र परिहार बार संघ अव्यक्ष अधिवक्तागण

कर्मचारियो एवं पराविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी कुझारोपण किया गया एवं सभी व्यक्तियों ने न्यायालय परिसर में स्वन्छता अभियान के तहत श्रम दान कर न्यायालय परिसर की साफ सफाई की।

बागेश्वर के बिलखेत में रोपे औषधी प्रजाति के पौधे

बागेश्वर। विश्व पर्यावरण दिवस जिले में धमधाम के साथ मनाया गया। वन विभाग के तत्वावधान में अमृत सरोवर बिलखेत में औषधीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान जंगल की सुरक्षा के साथ रोपित पौधों की सुरक्षा का भी संकल्प लिया। उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर रेंजर एसएस करायत,

वृष पुरुष किशन मलडा, हरीश सती, कमल किशोर, भूपाल राम, हयात सिंह, रवि प्रसाद आदि मौजूद रहे। उधर जिला न्यायालय परिसर में जिला जज नरेंद्र दत्त के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। इस दौरान अर्जुन, जामुन, कारंज, पांगड़ एवं बांज आदि फलदार एवं औषधि गुणों वाले पौधों का रोपण किया गया। यहां पुनीत कुमार, सिविल जज जूनियर डिविजन, जरोंद्र सिंह, किशन सिंह मलड़ा, चंद्रशेखर मिश्रा, विनोद भट्ट, गोबिन्द आदि रहे।

पर्यावरण दिवस के अवसर जिला न्यायालय में हुआ वृक्षारोप संवाद सहयोगी

पर्यावरण ने मानव को अंनत काल से लेकर अब तक जिस भी वस्त् की मानव को आवश्यकता महसस हुई, वह पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हासिल हुई है। मानव के हस्तक्षेप के चलते अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं जो प्रकृति के प्रमख घटकों जल, जंगल जमीन और समस्त वायमंडल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण को स्रक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिला न्यायाध ीश द्वारा यह भी अपील की गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक

एक पौधा लगाएं, जिससे सभी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकों। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह, सिविल जज व प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभांगी गुप्ता, न्यायिक मजिस्टेट रवि अरोडा द्वारा भी न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष महेश चन्द्र परिहार, अधि वक्तागण, कर्मचारियों एवं पराविधि क कार्यकर्ताओं द्वारा भी वक्षारोपण किया गया एवं न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर न्यायालय परिसर की साफ सफाई की गई।

पौधरोपण, प्रतियोगिता रैल्गी

अल्मोडा। पर्यावरण दिवस

के अवसर पर अल्मोडा जिला

न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया

गया। ब्धवार को राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण के निर्देशन पर जनपद

न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक

मेवा पाधिकरण अल्मोदा श्रीकांत पाण्डेय द्वारा छायादार सिल्वर ओक

व मौर पंख के पौधे लगाकर कार्यक्रम

का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा

कि प्रत्येक वर्ष 05 जून को विश्व

पर्यावरण दिवस मनाया जाता है,

जिसका उद्देश्य दुनिया में लगातार

बढ रहे प्रदुषण और प्रकृति को हो

रहे नुकसान पर रोक लगाना है।

वन विभाग, पुलिस और विद्यालयों में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस

संवाद न्यूज एजेंसी

जागरूकता

मंत्राय च्यूज प्रजेंशी वागेश्वर। विश्व प्रणविश्ण दिवस पर जिले के विभिन्न स्थानों पर सिंधरोण्ण और वागरूकताता कार्यक्रम किछ गए। बन विभाग ने नीहोश्वर संदिर परिसर और अमृत सरावर जिल्लाखन मे पीरे रिपे। कार्यक्रम से प्रराडीओ युनीत कुमार, अकित खडीला, युनीत की प्रार्थित रोडर ते निर्वेश पर सभी थाना, जीवन्मी कीं परियोग कित्रा, जिल्ला खांधक तेम प्रविश्वर्यक्रम भावत्व परितर ने परियोग सांच्यान चलावा। किला की शानिल की। सहका वर्ष्यका की शानिल परितर के केत्रात् में विद्यांक सम्बद्यक दोधक हित्यी के देत्रल सं करतीत्वा के जिल्लाध्वक कार्युश गांड्या गांडया के जेत्रल में नोडी गाडेंग गांड्या के चेत्रुल में नोडी गाडेंग



वारीप्रवार। विराज प्रयोगरण दिवस पर विश्वस्तर मोहन जोशी रावसा से भीरटर और विश्वी कालिस कोठा में विवज प्रदायांगरा। कराई गई। राइका से भीरटर और विश्वी कालिस कोठा में विवज प्रदायांगरा। कराई गई। राइका से प्रभान नावे दीप जावरण कुमार को इसा में डोगि कि प्रधन्तामा को से राइल कुमार को पहला. में आगीत्तत प्रतियोगस्त में दर्शीन विश्वस्तम की सोदार व्याक माजिला। कोठा में आगीत्तत प्रतियोगस्त में लेलित मोहन पाउँच पहले. दोपक माजिला दुरारे और कार्याजन प्रतियोग से लेलित पीहन पाउँच पहले. दोपक माजिला दुरारे से प्राणीकत प्रतियोग से लेलित पीहन पाउँच पहले. से कार्याजन प्रतियोग की स्वर्थ के स्वान पर देशी। कार्यक माज क्रम्या द्वार के कि कोठा के प्रतियोग के स्वर्थ के प्रतियोग के कि की कार्य प्रतियोग राईका मोडलको के प्रतियोग के की देशका में जुनीत बात्रात विश्वमत के तहर प्रत्योग वाणिका से प्राजन का की के देशका में जागरूकता रेली विव्यालो । संवय प्रा परिसर में मोधे शेगे। रेडक्रॉस आयोजन कर पर्यायरण पर अकरी सीमायडी ने मंडलसेस में गोष्डी का खतरों पर घर्या की।

आठ पर्यावरण मित्र सम्मानित

जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर स्वच्छता अभियान चलाया । इस मौके पर आठ पर्यावरण मित्रों को भाज पर आठ पंचावरण मित्रा किया प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यहां प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राहुल गर्ग, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश विजय अपर जिला स्वायाबारा पिजय लक्ष्मी विहान, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीनू गुलयानी आदि मौजूद रहे ।

🔳 जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान और पौधरोपण किया गया। इस दौरान एडीजे राहल गर्ग, द्वितीय एडीजे विजय लक्ष्मी विहान, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीनू गुलयानी, सिविल जज तनुजा कश्यप, प्रथम न्यायिक मजिस्टेट रुचिका गोयल, द्वितीय न्यायिक मजिस्टेट आईशा फरहीन आदि मौजुद रहे।

पर्यावरण की सेहत के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जरूरी



गंगा किनारे सफाई करते विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी व पालिकाकर्मी।

नरेंद्रनगर, 1 जून (ब्यूरो) : विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नगर पालिका मुनिकीरेती में शनिवार को विधिक जागरूकता लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव व सीनियर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने पालिका कामिंकों और पर्यावरण मित्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कदम उठाने को कहा। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, पालिका इओ तनवीर आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

न्यायालय पा केया पौधारोपण

🛛 सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून ।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार व अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश देहरादून के निर्देशन में है।

बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर देहरादून में सभी न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। जिला न्यायधीश प्रेम सिंह खेमाल ने अभियान की अगुवाई कर सर्वप्रथम पौधा रोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जनपद देहरादुन की तहसील डोईवाला, विकास नगर, ऋषिकेश आदि क्षेत्रों के सभी अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में पौधरोपण, श्रमदान,



हल्द्वानी

के साथ किया गया।

पाधिकरण

नैनीताल के

निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के

अध्यक्ष सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में

अपर जिला जज एवं तहसील विधिक

सेवा समिति हल्दानी के अध्यक्ष कंवर

अमरिंदर सिंह की देखरेख में बुधवार को सुबह आठ बजे से पर्यावरण दिवस

के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया

गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों,

कर्मचारी व अधिवक्ताओं ने अभियान

में श्रमदान किया। इस मौके पर नगर

निगम को टीम ने भी विशेष सहयोग

पौधारोपण करते न्यायाधिकारी व अन्य।

रैली और नुक्कड़ नाटक अभियान का आयोजन किया। दून में आमजन और प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण व श्रम दान किया।



किया। अभियान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत, सचिव मोहन सिंह बिष्ट, देवभूमि संस्था के प्रकाश बिष्ट, पीएलबी उमा भंडारी, दिनेश समेत सुनिधि विकास संस्था से जडे लोग शामिल थे।

अभियानः विश्व पर्यावरण दिवस पर हल्द्वानी

. इधर एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू व सदस्य पूर्णिमा रजवार के नेतृत्व में संस्था के मोध्यम से पृथ्वी को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्था पदाधिकारियों ने भारतीय सेना के जवानी के साथ मिलकर हल्द्वानी आर्मी केंट में फलदार पौधारोपण कर ब्रायादार आम जनमानस को पौधारोपण करने एवं वृक्षों का संरक्षण करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर संस्था बलराम हालदार, मोडिया प्रभारी मुकेश सरकार, मार्गदर्शक रोहताश प्रजापति. पूर्णिमा रजवार, मनीष साह, सूरज मिस्त्री, सुशील राय, दीपक कुमार, सूरज कुम्हार, मुकेश कुमार आदि मौजूद थे।

जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

,(वतन केसरी)। नई टिहरी

्र उत्तराखंड र प्राधिकरण के राज्य विधिक सेवा निर्देश एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर शनिवार को एक जनजागरूकता शिविर का विधिक आयोजन नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती,टिहरी गढ़वाल में किया गया । शिविर सीनियर सिविल जज/सचिव, जि में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल आलोक राम त्रिपाठी जी द्वारा उक्त पालिका के समस्त अधिकारी,कर्मचारी व सभी पर्यावरण मित्र (सफाई कर्मचारी व सना प्रवादरण तार्व एक संरक्षण एव पर्यावरण की रक्षा कैसी करनी है,ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,पॉश एक्ट,साइबर अपराध आदि विभिन्न कानूनों की सरल शब्दों में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मिंया द्वारा नशे के दुष्प्रभाव, मोटरयान अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।



पर्यावरण जागरतकता शिविर का आयोजन

देहरादुन, संवाददाता। प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा अखिल भारतीय महिला आश्रम सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक देहरादन में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के अध्यक्ष, जिला जज के आदेश अनुसार तथा सचिव के निर्देशन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में पर्यावरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छात्राओ के मध्य सांसे हो रही कम आओ पेड लगाए हम विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं अपने हनर का प्रयोग बखबी किया। साथ ही प्रविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा छात्राओ को ग्लोबल वार्मिंग तथा वक्षारोपण से किस तरह से हमारा सॉइल एरोजन रुक जाता है आदि विषयों पर जागरूक किया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटक्शन एक्ट की भी जानकारी दी गई। इसके साथ-साथ छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। अंत में छात्राओं ने एक लीची का पौधा लगाकर वक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आश्रम की 80 छात्राएं तथा सचिव महिला आश्रम श्रीमती सुषमा अग्रवाल के साथ-साथ वार्डन रीमा गप्ता भी उपस्थित थी।





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चलाएगा जनपद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों व दूरस्थ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में जागरुकता अभियान

प्राधिकरण नेनीताल के निर्वेष्ठन एवं अ यका जिला विभिक्त सेवा प्रामिकरण अल्मोठा सीकांत प्राप्ठेय के मार्गवर्त्तन में सुभी शचि शर्मा संविध जिला विचिव सेवा प्राधिकाण के लिईलन में जनपट आम्बेटा में जिला प्रचासन, पुलिस म्लासन एवं विशेष जुवेनाइल पुलिस डेवार्ड समाज करवाण विमाग चिकिल्सा विमाग, स्कूल एवं कालेज प्रशासन, महिला अभिकार संख्याण आयोग, बाल रचिकार संख्लम आयोग किलोर न्याय बोर्ट, बाल संरक्षण ईकाई, बाल काव्य समिति एवं मनोधिकित्सक आदि वे सहयोग से जनपद अल्मोठा में महिला अधिकान एवं सत्राक्तिकाण तथा बच्चो के अधिकार एवं संखाण पर 15 दिवसीय तागरुकता अभियान दिनांक 1.6.2024 से १५.६.२०२४ तक चलाया आयेगा जिसमे

महिलाओं व बच्चों से संबंधित विभिन्न वामनो एवं उनके अधिकारों आदि किएयों महत्वपूर्ण आगकास्यितं थी जानी है एवं विद्यालयों, महाविधालयों, संक्रेण गृह, नारी निवेतन, किंशोरी मुह, जिशु सदन, शेल्टर गुत्र आदि में ड्राईंग, स्लोमन, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन व स्कूलों, महाविश्वालय के बच्चों हान ल्पनता पेली, मुनकाट माटक आयोजित

गुहों आदि में स्वास्थ्य किथिर मी आयोजित किए जायेगे ।

पेश लीगल वालियंटर डास जलपव के विमिन्न स्कूलों, कालेजों व दूरस्य दर्गम ग्रामील होजों व लहरी होजों में गरुक्ता अभियान चलाया आयेगा एव हत्वपर्न विषयों की जानकारी दी आदेगी जैसे कि ग्रॅंश अपिशियम् नालसा (तस्वर्श्व और वाणिष्यिक यौन शोधण जिवार)योजना 2015, नालसा (बच्चों और उनके संखाल के लिए बाल और मेत्रीपूर्ण वानूनी सेवाएँ योजना 2015, परंखु हिंस ले महिलाओं का संखान अधिनियम 2005 बाल अम नियंच, बाल विवाह निर्वच बाल तरकरी निषेध किसोर म्याय अधिशियम 2015, बच्चों को शिष्ठुला व अणिवामें जिल्ला का अधिकार, पाक अधिणियम् २०१२ आदि ।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाईस्कूल नौला में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन अल्मोड़ा,इंडिया वातां व्यूरो। माननीय उत्तराखण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

अल्मोड़ा श्री श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुश्री

शचि शर्मा,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के

निर्देशन में जनपद अल्मोडा में "WOMEN

RIGHTS AND EMPOWERMENT

AND CHILD'S RIGHTS AND

THEIR PROTECTION" पर 15 दिवसीय

जागरुकता अभियान के अनक्रम में स्वास्थ्य विभाग के



त्वाधान में दिनांक- 11.06.2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जनियर हाईस्कूल नौला में निशल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डा0विशाल जोशी ,योगेश बिष्ट, सुनीता मेर द्वारा 45 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।पैरा लीगल वालियंटर शोभा लोहनी व नीता नेगी द्वारा विधिक जागरुकता शिविर के माध्यम से उपस्थित बच्चों को नालसा (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल और मैत्रोपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना 2015 ,बाल श्रम निषेध, बाल विवाह निषेध, बाल तस्करी निषेध, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, गुड टच , बैंड टच,पाक्सो अधिनियम,नशीली दवाओं के दरुपयोग और अवैध तस्करी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तराखण्ड एवं नान बायोडिग्रिडेबल) गार्बेज अधिनियम 2013, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि की जानकारी प्रदान की गई।

दूरस्थ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाया गया



किशोर श्रम के विरुद्ध चलाया गया राहत एवं पुनर्वास अभियान



अल्मोड़ा,इंडिया वार्ता ब्यूरो। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्री श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अल्मोडा सुश्री शचि शर्मा निर्देशन में दिनांक 10/06/2024 को पैरा लीगल वालियंटर

दीपा आर्या व नीता नेगी द्वारा बाल एवं किशोर श्रमिकों के राहत एवं पुनर्वास अभियान के तहत अल्मोडा में गठित टास्क फोर्स टीम के साथ समस्त नगरीय क्षेत्र अल्मोडा के 24 विभिन्न होटलों आदि स्थानों में किशोर श्रम के विरुद्ध राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाया गया। इस अभियान में टास्क फोर्स टीम के जिला बाल कल्याण समिति से श्री रघु तिवारी (अध्यक्ष), श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय (सदस्य), श्रम विभाग से श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट (श्रम प्रवर्तन अधिकारी), जिला बाल कल्याण संरक्षण ईकाई से श्रीमती कमला कोश्यारी (बाल संरक्षण अधिकारी), चाइल्ड हैल्प लाइन से श्री मोहित जोशी (परियोजना समन्वयक) मोहित फूलारा (कैसवर्कर) उपस्थित रहे तथा इस अभियान में व्यापारियों को बाल श्रम एक अपराध है एवं इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान है की भी जानकारी दी गई।



महिलाओं, बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा विधिक सेवा प्राधि.



अल्मोड़ा,इंडिया वातां व्युरो। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ श्री श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुश्री शचि शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जनपद अल्मोड़ा में "WOMEN RIGHTS AND EMPOW-ERMENT AND CHILD'S

RIGHTS AND THEIR PROTECTION" पर 15 दिवसीय जागरुकता अभियान के अनुक्रम में दिनांक- 03.06.2024 को पैरा लीगल वालियंटर हेमा पाण्डे, यमुना प्रसाद,नंदन सिंह फर्तुयाल रजनी, एडवीन व्हीलर आदि द्वारा जनपद के विभिन्न अति दूरस्थ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों ग्राम- दुधोली, झालडूंगरा, धौली धार, स्याल्दे, मंधार, जोशी धुरा, धोली भिकियासैण आदि में विधिक जागरुकता

बाल श्रम उन्मूलन की शपथ दिलाई

पौड़ी। बाल एवं किशोर श्रमिकों के बचाव और पुनर्वास के लिए चले रहे जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जिलास्तरीय अफसरों को एनआईसी कक्ष में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर शपथ दिलवाई गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि इस महीने बाल एवं किशोर श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए तीस दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बताया कि मंगलवार को जिलास्तरीय अफसरों को शपथ दिलाते हुए बच्चों को बाल श्रम से बचाने, बाल श्रम को खत्म करने और बाल श्रम के बजाए शिक्षित करने आदि को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर सीडीओ अपूर्वा पांडे, डीएफओ गढवाल स्वप्निल अनिरुद्ध, सीईओ दिनेश चंद्र गौड आर्दि शामिल रहे।

बाल गृह में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक जागरुकता शिविर लगाया

(दैनिक जनमोर्चा) आशुतोष कोक हल्दानी/ नैनीताला उत्तराखंड राज्य विभिक्ष सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल गृह में आयोजित ति:शुत्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर शिविर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुवीर सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुवीर तक बालको एवं महिलाओं हेतु राक्त एवं महिलाओं हेतु

तक बालको एवं महिलाओं हेतु संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत, सचिव जिला विश्विक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, बीनू गुलवानी के नेतुत्व में पर स्वास्थ्य विभाग नैनीताल के सहयोग से बाल गृह हल्द्वानी में बालकों एवं महिलाओं एवं कर्मचारीगण के लिए आयोजित नि शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। शिविर में जिला विधिक सेवा



प्राधिकरण नैनीताल की और से बाल, महिला अधिकार, टोल फी नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी भी वी गई।गृह में बाल श्रम के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। शिविर में बाल विवाह एवं बाल श्रम जेसी कुरीतियों के बारे में भी जागरूक किया गया। सभी बच्चो को शिक्षा का अधिकार शिक्षा के लाभ के बारे में बताया गया। बच्चो की समस्याओं के बारे में सुना। शिविर का संचालन पी एल नी नीमा जोशी दारा किया गया।

जनमादा 06



टिहरी .(वतन केसरी)।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर शुक्रवार को एक विधिक जनजाररूकता शिविर का आयोजन नगर पंचायत लम्बगांव में किया गया । शिविर में सीनियर सिविल जज/सच्चिब, जिला विधिक सेवा ग्राधिकरण टिहरी गढ़वाल आलोक राम त्रिपाठी जी द्वारा उक्त नगर पंचायत के समस्त अधिकारी, कर्मचारी व सभी पर्यावरणा मित्र (सफाई कर्मचारी गण) को रक्षा कैसी करनी है,दोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पशि एक्ट, साइबर अपराध आदि विभिन्न कानूनों की सरल शब्दों में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, साथ झै जिल्ला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता उजपाल सिंह मिंया हारा नशे के दुख्रभाव, मोटरवान अधिनियम आदि

ग्रिसिंघव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता कर्मचारीगण,थाना लम्बगांव के एवं कर्मचारीगण के लिए आयोजित में करण टिहरी गढ़वाल आलोक राजपाल सिंह मिया द्वारा नशे के प्रभारी इंचार्ज आदि सैकड़ो जनमानस रिखिर में जिला विधिक सेवा र रिपिट में जिला विधिक सेवा र रिपिट में जिला विधिक सेवा र रिपिट में जिला विधिक सेवा र रायी महत्वपूर्ण जानकारियां (देनिक जनमोर्था) आधुतोष कोकला रिपिट में जिला विधिक सेवा र रायी महत्वपूर्ण जानकारियां (देनिक जनमोर्था) आधुतोष कोकला रायी कोकला रिपिट में जिला विधिक सेवा र रायी महत्वपूर्ण जानकारियां (देनिक जनमोर्था) आधुतोष कोकला रायी महत्वपूर्ण स्वाम्ध्य प्राधान के रायी स्वाप्त के रायी स्वाप्त के रायी स्वाप्त के रायी रायी महत्वपूर्ण जानकारियां (देनिक जनमोर्था) आधुतोष कोकला रायी रायी स्वाप्त के रायी र राय

के बारे में जानकारी प्रदान की गई

इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य

आंदोलनकारी वरिष्ठ नागरिक देवी

सिंह पंवार व व्यापार मंडल लम्बगांव

के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा द्वारा भी

अपने विचार व्यक्त किवे गए,उक्त कार्यक्रम में नगर पंचायत के

अधिशासी अधिकारी कैलाश चन्द्र

के

समस्त

सेमवाल,पालिका

हल्द्वानी /नैनीताल । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल

सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में जिला नैनीताल में दिनांक 01.06.2024से

15.06.2024 तक बालको एवं महिलाओं हेतु संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, बीनू गुल्यानी के नेतृत्व में सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी में बालकों एवं महिलाओं एवं कर्मचारीगण के लिए आयोजित विधिक जागरूकता शिविर। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की और से बाल, महिला अधिकार, टोल फी नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप,स्थाई लोक अदालत, माननीय उठ्यतम



29.07.2024से 03.08.2024 आयोजित होने वाली विशेष तक अदालत,आदि लोक महत्वपर्ण विषयों पर जानकारी भी दी गई। लाइब्रेरी में बाल शिक्षा, बाल श्रम के विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। शिविर में बाल विवाह एवं बाल श्रम जैसी कुरीतियों के बारे में भी जागरूक किया गया। सभी बच्चो को शिक्षा का अधिकार ,शिक्षा के लाभ के बारे में बताया . गया। शिविर का संचालन पी एल वी मीना जोशी द्वारा किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरुकता शिविर लगाया

हल्द्वानी। जिल्ला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूरूएव क्षेत्र अतिम मांच में बाल अधिकार एवं महिला सराक्ति करण पर आयोजित जागरूकता शिविर उत्तराखांड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुबीर वुमुमार के मार्गदर्शन में जिलो में बाल अधिकार एवं महिला सर्वाक्त करण के बिषय पर 01.06.2024 से 15.06.2024लक संचालित जागरूकता अभियान के दुष्टिंगत संचिक जिल्ला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीन् गुल्सानी प्राधिकरण नैनीताल बीन् गुल्साना के तालिया गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं के अधिकार एवं सर्वरक्षण,बाल अस पर रोकथाम, नालसा टोल फी नंबर 15100, साइबर अपराध कार्य रखल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से



रोकश्रम, घरेलु हिंसा से पहिलाओं का संरक्षण, बैलाहिक बादों में दायरा पूर्व मध्यस्थता ,विशेष लोक अदालत नई दिल्ली 29-07-24 से 03-08-2024 तक, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनौक अधिनियम पूर्व निदान तकनौक अधिनियम पी.सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट आदि के विषय पर जानकारी प्रदान की गई तथा आम जनमानस की परेशानियों को सुनते हुए उपयोगिता सेवाओं कि समस्या के निदान के स्वंबंध में स्थाई लोक अदालत,बिभिन्न प्रकार की पेशन एवं अन्य योजना,बिकत्तांग पेशन,महिला अधिकार,जिला विभिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकत्वाप आदि विधयों पर जानकारी दी गई। शिविर का संचालन पर बिधिक रख्य सेवी जानकी आर्य द्वारा किया गया।

डोर- टू- डोर चलाया गया जागरुकता शिविर व विधिक जागरुकता अभियान

पसेड, रवाडी, डुमडौली, भिकियासैण आदि में विधिक जागरुकता शिविर व डोर- टू- डोर विधिक जागरुकता अभियानचलाया गया। उपस्थित ग्रामीणौं को नालसा(तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार) योजना 2015, नालसा (वच्च्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल और मैंत्रीपूर्ण कान्नी सेमाएं)योजना 2015, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, नालसा (कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीडितों को कानूनी सेवाएं) योजना 2010, बाल क्रम निर्वेध, वाल विवाह निर्वेध, वाल तस्करी निर्वेध, किशोर ज्याय अधिनियम, 2015, बच्चों को निशुल्क व अनिवायें शिक्षा का अधिकार, पाक्सो अभिनियम 2012, PoSH अभिनियम 2013,नशीली दबाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी, पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय मुद्दे, ग्लोचल वार्मिंग, नवावर गाव सुद्र, ग्लावल वामिग, जैविक अजैविक कुट्ठे का उचित निस्तारण आदि विषयों की जानकारी प्रदान की गई तथा माननीय सबोच्च न्यायालय में दिनांक- 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित विशेष लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया गया व पंफलेट वितरित किये गए ।



अल्पोड़ा। याननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोझ श्री श्रोकति पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुश्री राघि रूपा, सचिव जिला विभिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जनपद RIGHTS AND EMPOW-ERMENT AND CHILD'S RIGHTS AND THEIR PROTECTION" पर 15 दिवसीय जागरुकता अभियान के अनुजम में दिनांक- 01.06.2024 को पैरा लोगल जालिकंट द्वारा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों ग्राम-

SUCCESS STORIES

<u>01</u>

Para-Legal Volunteer Mrs. Sandya associated with District Legal Services Authority, Dehradun, visited the village Rajouli, Dehradun and interacted with a woman. Her husband was expired in the year 2018 and she was facing issues regarding pension of her husband. The PLV helped the woman in completion of the relevant document for filing the Pension Form and submitted the same at the Office of Social Welfare Department. Later she has received the pension and was grateful to PLV, Mrs. Sandhya and Office of District Legal Services Authority, Dehradun.



<u>02</u>

Parallegal Volunteer Mr. Umeshwar Rawat associated with District Legal Services Authority, Dehradun was informed by the people that in Nashville Road, near Dobhalwala School area there is about one and half inch leakage in the water supply line and due to which there is water in the drain. And at the same place there is leakage in the second supply line. Around 6:00 am, I called the maintenance team of Jal Sansthan and together with them, observed the leakages and talked to Mr. Raghavendra Doval at around 7:15 pm. Thereafter, a letter was given by the PLV to the Executive Engineer, Jal Sansthan, Rajpur Road on the above mentioned subject. I was told by the Assistant Engineer that the above problem would be resolved soon. In few days the leakage was completely stopped by Jal Sansthan Dehradun and the problem has been resolved for which the local public has expressed gratitude and thanks to the District Legal Services Authority, Dehradun.



<u>03</u>

PLV Gurpreet Singh and Ayush Verma from the District Legal Services Authority, Dehradun, rescued three (03) children engaged in child labor in Vikasnagar area. The PLV collaborated with the Labor Department, District Child Protection, local police, District Probation, Dehradun, and the Manroop Charity Research Center, Vikasnagar, under the guidance of the District Legal Services Authority, Dehradun. The three children were rescued and presented before the Child Welfare Committee.



<u>04</u>

PLV Seema Kataria, from the District Legal Services Authority, Dehradun, was approached by Anu, a student of Government Girls Inter College, Ajabpur Kala, Dehradun. Anu informed her that she had suddenly started experiencing chest pain and, since her parents were in the village, she was unable to consult a doctor due to a lack of money. Seema Kataria reported this information to the District Legal Services Authority, Dehradun. Acting on this, the Authority instructed Seema Kataria to gather complete information about the case and resolve the issue. Seema took Anu to Deen Dayal Upadhyay Hospital (Coronation), but the required tests were to be done outside, costing around ₹1600. Consequently, Seema also took Anu to Doon Hospital. Through Seema Kataria's efforts, Anu's issue was resolved. Anu expressed her gratitude to the District Legal Services Authority.



STATUS OF FULL TIME SECRETARIES/TLSC/PLVS/PANEL LAWYERS/RETAINER LAW-YERS/MEDIATORS/LEGAL AID CLINICS/FRONT OFFICE/MEDIATION CENTERS

NAME OF DLSA	No. of Full Time Secretary	No. of TLSCs Con- stituted	No. of Panel Lawyers	No. of Retainer Lawyers	No. of trained PLVs	No. of Legal Aid Clinics	No. of Front Offices	No. Me- diation Centers	No. of Mediators
ALMORA	01	03	12	01	40	34	01	01	03
BAGESHWAR	01	01	06	01	36	19	01	01	03
CHAMOLI	01	05	08	01	60	32	01	01	01
CHAMPAWAT	01	01	10	01	60	17	01	01	03
DEHRADUN	01	04	51	01	71	62	01	02	25
HARIDWAR	01	02	34	01	14	34	01	03	22
NAINITAL	01	02	39	01	60	08	01	03	14
PAURI GARHWAL	01	04	25	01	69	25	01	02	05
PITHORAGARH	01	04	11	01	35	04	01	01	04
RUDRAPRAYAG	01	01	06	01	89	43	01	01	01
TEHRI GARHWAL	01	02	26	01	46	21	01	01	03
U. S. NAGAR	01	05	51	01	58	24	01	03	11
UTTARKASHI	01	02	17	01	60	19	01	01	08
HCLSC	01	-	24	01	-	-	01	01	25
TOTAL	14	36	320	14	698	342	14	21	128

As on 30.06.2024

CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PRO-GRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Ada- lats	Total No. of Cas- es Tak-	Total No. of Cases Dis- posed	Compensa- tion/Settlemen t Amount	Realized as Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Bene- fited in	No. of Camps/ Sensiti- zation Pro-	Total No. of Per- sons Benefited in Camps	Bene Throug Aid &	Persons efited h Legal Advice Ad-
		Held	en up	off			Lok Adalats	gramm es Or- ganized	in camps	Legal Aid	vice/ Other Ser- vices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	01	131	128	1,11,94,011	-	128	861	54352	28	887
2	BAGESHWAR	03	126	81	37,85,268	-	81	288	10452	06	39
3	CHAMOLI	04	121	66	1,75,95,413	46,300	66	1045	21172	12	169
4	CHAMPAWAT	04	223	170	6,71,400	46,700	170	792	29646	18	-
5	DEHRADUN	04	4306	3455	8,69,05,922	2,20,450	3455	373	14267	357	1782
6	HARIDWAR	01	1709	1646	3,03,57,273	-	1646	92	8088	196	02
7	NAINITAL	04	1405	1267	3,46,33,356	1,28,950	1267	509	20878	150	782
8	PAURI GARHWAL	04	727	714	1,36,13,087	1,67,500	714	255	8544	59	891
9	PITHORAGARH	02	228	217	96,34,074	1,000	217	151	7761	16	31
10	RUDRAPARYAG	02	132	62	10,20,097	6,600	62	27	1611	44	13
11	TEHRI GARHWAL	02	443	387	1,48,50,639	-	387	701	17738	50	07
12	U.S. NAGAR	01	2630	1818	16,91,85,176	-	1818	266	14120	286	23
13	UTTARKASHI	01	136	127	93,63,768	-	127	84	2666	21	-
14	HCLSC, NTL	01	431	42	2,32,82,030	-	-	-	-	176	-
15	UKSLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
	TOTAL: -	34	12748	10180	42,60,91,514	6,17,500	10138	5444	211295	1419	4679
16	CONSUMER COURTS	-	11	07	2,50,500	-	-	-	-	-	-
17	DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEH-		62	57	48,43,00,000						
	RADUN	-				-	-	-	-	-	-
	TOTAL: -	-	73	64	48,45,50,500	-	-	-	-	-	-
	GRAND TOTAL: -	34	12821	10244	91,06,42,014	6,17,500	10138	5444	211295	1419	4679

(APRIL-2024 TO JUNE-2024)

PROGRAMMES/ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING

(APRIL-2024 TO JUNE-2024)

S.N.	Name of District	Lok Adalats in ja	-	Legal Literacy Camps organized in jails		Legal Aid provided to under trial prisoners	Jail visit
		No. of or- ganize Lok Adalats	No. of cases disposed off	Camps organized	Benefitted persons	Number of Benefitted under trial prisoners	Total Num- ber of Jail visit
1	ALMORA	-	-	12	2069	16	01
2	BAGESHWAR	-	-	06	411	02	06
3	CHAMOLI	-	-	03	357	05	08
4	CHAMPAWAT	-	-	02	69	11	02
5	DEHRADUN	03	66	02	205	265	38
6	HARIDWAR	01	12	14	3950	179	-
7	NAINITAL	-	-	10	1820	110	-
8	PAURI GARHWAL	-	-	07	1028	33	15
9	PITHORAGARH	-	-	44	2144	10	03
10	RUDRAPRAYAG	-	-	10	239	08	-
11	TEHRI GARHWAL	01	02	11	1459	38	01
12	U.S. NAGAR	-	-	09	1224	246	07
13	UTTARKASHI	-	-	11	628	14	-
14	H.C.L.S.C. NTL	-	-	-	-	60	-
	TOTAL :-	05	80	141	15603	997	81

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS (Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

(APRIL-2024 TO JUNE-2024)

(i) No. of PLAs existing : (ii) Total No. of PLAs functioning: 07 (Almora, Dehradun, Hardwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)
 04 (Dehradun, Hardwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalats	Number of Sittings	No. of cases pending as on 31.03.2024	No. of cases received dur- ing the Peri- od	No. of cases settled dur- ing the Peri- od	Total Val- ue/Amount of Settle- ment (₹)	No. of cases pending as on 31.03.2024
1	Dehradun	69	296	77	50	1,77,46,907	323
2	Haridwar	27	113	43	25	-	131
3	Nainital	57	148	11	16	2,32,846	143
4	Udham Singh Nagar	34	25	24	13	6,97,07,040	36
	Total	187	582	155	104	8,76,86,793	633

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION

(APRIL-2024 TO JUNE-2024)

(A) Total Number of ADR Centers :	04
(B) Total No of Existing Mediation Centers other than ADR Centers :	18
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centers and Mediation Centers) :	127

DISPOSAL

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
Α	No. of cases received during the month	212
В	Cases settled through Mediation	33
С	Cases returned as not settled	163
D	Non-starter cases which were returned as mediation could not commenced	27
E	No. of Connected cases	-
F	No. of Cases pending at the end of the month	157

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357A Cr. P. C.

(APRIL-2024 TO JUNE-2024)

No. of applica- tions received directly by Legal Services Institu- tions (A)	No. of applica- tions/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received in- cluding Court orders (A+B)	No. of appli- cations de- cided	No. of appli- cations pending	Total Compensation Amount (₹)
45	42	87	62	93	96,00,000



CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority,	Member Secretary,	Office: 05942-236762,
	High Court Compound, Nainital	Officer on Special Duty	Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Shrikant Pandey, Chairman Ms. Shachi Sharma, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9459596757
04	District Legal Services Authority,	Shri Narendra Dutt, Chairman	Office: 05963-221844
	Bageshwar	Shri Jayendra Singh, Secretary	Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Dharam Singh, Chairman Shri Puneet Kumar, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9412079328
06	District Legal Services Authority,	Shri Anuj Kumar Sangal, Chairman	Office: 05965-230915
	Champawat	Shri Bhavdeep Ravtey, Secretary	Mobile: 9411327127
07	District Legal Services Authority,	Shri Prem Singh Khimal, Chairman	Office: 0135-2520873
	Dehradun	Ms. Seema Dungarakoti, Secretary	Mobile: 9458346961
08	District Legal Services Authority,	Shri Prashant Joshi, Chairman	Office: 01334-239780
	Haridwar	Ms. Simranjit Kaur, Secretary	Mobile: 9412071710
09	District Legal Services Authority,	Shri Subir Kumar, Chairman	Office: 05942-237159
	Nainital	Ms. Beenu Gulyani, Secretary	Mobile: 9411102137
10	District Legal Services Authority,	Shri Ajay Chaudhary, Chairman	Office: 01368-221815
	Pauri Garhwal	Shri Akram Ali, Secretary	Mobile: 9412079408
11	District Legal Services Authority,	Shri Shanker Raj, Chairman	Office: 05964-228322
	Pithoragarh	Ms. Manju Devi, Secretary	Mobile: 9411330501
12	District Legal Services Authority,	Shri S.M.D. Danish, Chairman	Office: 01364-233796
	Rudraprayag	Shri. Ravi Ranjan, Secretary	Mobile: 9149109745
13	District Legal Services Authority,	Shri Yogesh Kumar Gupta, Chairman	Office: 01376-233424
	Tehri Garhwal	Shri. Alok Ram Tripathi, Secretary	Mobile: 9411558363
<u>ه</u> 14	District Legal Services Authority,	Shri S. K. Tyagi, Chairman	Office: 05944-250682
۲	Udham Singh Nagar	Shri. Yogendra K. Sagar, Secretary	Mobile: 9412088088
915	District Legal Services Authority,	Shri Gurubaksh Singh, Chairman	Office: 01374-222711 C
©	Uttarkashi	Ms. Shweta Rana, Secretary	Mobile: 9412078165
Re	20		0200

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552, e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com website : www.slsa.uk.gov.in Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873 Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ TOLL FREE NO. 18001804000, 15100